

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.5(9)नविदि/II/2014(लूज)

जयपुर, दिनांक: 18.05.2017

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत यह आदेशित किया जाता है कि श्री ज्ञानेश्वर व्यास, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अपने कार्य के साथ-साथ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी सम्पादित करेंगे।

यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।

उक्त के अतिरिक्त इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.05.2017 में आंशिक संशोधन किया जाता है कि क्रम संख्या-5 पर वर्णित श्री राजेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता के सम्मुख अंकित पूर्व पदस्थापन स्थान "जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर" के स्थान पर "जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर" पढ़ा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निदेशक, स्व.यत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को उनके पत्र क्रमांक जनावि/स्था/अर्षे/2017/5649 दिनांक 23.02.2017 के क्रम में।
5. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कामां (भरतपुर)।
8. श्री ज्ञानेश्वर व्यास, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
9. श्री राजेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावे।
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम